शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीय सेवा में आने से पूर्व की गयी सेवा को आगणित किया जाना

संख्या-सा-3-950/दस-2006-901/98

सेवा मे,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश

प्रेषक,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊः दिनांक 20 जुलाई, 2006

विषय : राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के राजकीय सेवा में आने से पूर्व की गयी सेवा को पेंशन के प्रयोजनार्थ आगणित किया जाना।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलो, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा बहुधन्धी संस्थाओं में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के रूप मे सेवा कर चुके तथा बाद में राजकीय सेवा में प्रवेश पाये कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ जोड़ने हेतु वित्त विभाग को संदर्भित किये जा रहे प्रकरणों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य से सहायता प्राप्त ऐसी अशासकीय शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं जिनके शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति पेंशन की सुविधा प्राप्त है तथा उसका भुगतान राजकोष से किया जाता है, उनके शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सेवा में आने की दशा में उनकी पूर्व सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ निम्न शर्तो के अधीन आगणित किए जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा की ऐसी अवधि, जो राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन हेतु अर्ह हो, को सामान्य शर्तो के अधीन पेंशन प्रयोजनार्थ आगणित किया जाएगा परन्तु ऐसी सेवा अवधि, जो अंशदायी भविष्य निधि योजना से आच्छादित हो, उसका केवल वही अंश पेंशन प्रयोजनार्थ आगणित किया जाएगा जिसमें शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा वास्तव में निधि में अंशदान किया गया हो, और सेवायोजक द्वारा निधि में किये गये अंशदान की धनराशि अद्यतन ब्याज सहित राजकोष में जमा कर दी गयी हो।

(2) उपरोक्त सुविधा प्रदान करने से जहां किसी राजकीय कर्मचारी/अधिकारी को अनुमन्य पेंशन

Scanned with CamScanner

की दर में बढोत्तरी होती है तो ऐसी बढी हुई दर से पेशन का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि या शासनादेश जारी होने की तिथि जो भी बाद मे हो, से देय होगा।

2- उपर्युक्त प्रकार के मामलों मे पूर्व सेवा की गणना हेतु आवश्यक आदेश शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाएंगे।

भवदीय,
मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त–II

Scanned with CamScanner